न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 19/2018 दायरा दिनांक : 16.02.2018

उनवान

1— उदा आत्मज भग्या, जाति चमार, उम्र 52 वर्ष, निवासी ग्राम भड़का, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

2— रामा आत्मज घुला, आयु 50 वर्ष, जाति चमार, निवासी कुण्डला का खेड़ा, तहसील आगर, जिला आगर, मध्यप्रदेश

3— सावित्री बेवा घुला, आयु 70 वर्ष, जाति चमार, निवासी कुण्डला का खेड़ा, तहसील आगर, जिला आगर, मध्यप्रदेश

4— नाथू आत्मज ऊकांर, जाति चमार, उम्र 65 वर्ष, निवासी ग्राम भड़का, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़ मृतक जर्ये कायम मुकामान :—

4/1— कालूराम आत्मज नाथू, जाति चमार, उम्र 35 वर्ष, निवासी ग्राम भड़का, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

4/2— रमेश आत्मज नाथू, जाति चमार, उम्र 25 वर्ष, निवासी ग्राम भड़का, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

4/3— तेजुलाल आत्मज नाथू, जाति चमार, उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम भड़का, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

5— दर्यावबाई पत्नी बगदू लाल, जाति चमार, उम्र 48 वर्ष, निवासी ग्राम भड़का, हाल मुकाम डग, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

6— रतन बाई पत्नी भुवान, जाति चमार, उम्र 38 वर्ष, निवासी ग्राम भड़का, हाल मुकाम डग तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

7— तेजा बाई पत्नी कनीराम, जाति चमार, उम्र 35 वर्ष, निवासी ग्राम भड़का, हाल मुकाम डग तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

बनाम

1— मोहन आत्मज पूरा, जाति चमार, उम्र 42 वर्ष, निवासी ग्राम भड़का, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

2— रामचन्द्र आत्मज मोतीलाल, जाति ढोली, उम्र 40 वर्ष, निवासी ग्राम दलोद, तहसील सितामऊ, जिला मन्दसौर मध्यप्रदेश

3— देवीसिंह आत्मज चन्दर सिंह, जाति राजपूत, उम्र 45 वर्ष, निवासी ग्राम भड़का, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

4— स्टेट आफ राजस्थान जर्ये तहसीलदार गंगधार, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 20/2018 दायरा दिनांक : 16.02.2018

उनवान

1— उदा आत्मज भग्या, जाति चमार, उम्र 52 वर्ष, निवासी ग्राम भड़का, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

2— रामा आत्मज घुला, आयु 50 वर्ष, जाति चमार, निवासी कुण्डला का खेड़ा, तहसील आगर, जिला आगर, मध्यप्रदेश

3— सावित्री बेवा घुला, आयु 70 वर्ष, जाति चमार, निवासी कुण्डला का खेड़ा, तहसील आगर, जिला आगर, मध्यप्रदेश

4— नाथू आत्मज ऊकांर, जाति चमार, उम्र 65 वर्ष, निवासी ग्राम भड़का, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़ मृतक जर्ये कायम मुकामान :—

4/1— कालूराम आत्मज नाथू, जाति चमार, उम्र 35 वर्ष, निवासी ग्राम भड़का, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

4/2— रमेश आत्मज नाथू, जाति चमार, उम्र 25 वर्ष, निवासी ग्राम भड़का, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

4/3– तेजुलाल आत्मज नाथू, जाति चमार, उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम भड़का, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

5– दर्यावबाई पत्नी बगदू लाल, जाति चमार, उम्र 48 वर्ष, निवासी ग्राम भड़का, हाल मुकाम डग, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

6– रतन बाई पत्नी भुवान, जाति चमार, उम्र 38 वर्ष, निवासी ग्राम भड़का, हाल मुकाम डग तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

7– तेजा बाई पत्नी कनीराम, जाति चमार, उम्र 35 वर्ष, निवासी ग्राम भड़का, हाल मुकाम डग तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1– मोहन आत्मज पूरा, जाति चमार, उम्र 42 वर्ष, निवासी ग्राम भड़का, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

2– रामचन्द्र आत्मज मोतीलाल, जाति ढोली, उम्र 40 वर्ष, निवासी ग्राम दलोद, तहसील सितामऊ, जिला मन्दसौर मध्यप्रदेश

3– देवीसिंह आत्मज चन्दर सिंह, जाति राजपूत, उम्र 45 वर्ष, निवारी ग्राम भड़का, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

4– स्टेट आफ राजस्थान जर्ये तहसीलदार गंगधार, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित श्री विनोद व्यास अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय दिनांक : 18.01.2021

ये दोनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

ये दोनों अपीले अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, गंगधार के प्रकरण संख्या – 418/दावा/2013 निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 08.12.2014, संशोधित डिक्री दिनांक 19.02.2016, संशोधित डिक्री दिनांक 27.06.2016 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 23.01.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

दोनों अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रतिप्रार्थी नम्बर 1 ने एक नियमित वाद बउनवान मोहन लाल बनाम उदा वगैरह दावा संख्या 418/दावा/2013 अपीलार्थीगण एवं प्रतिप्रार्थी नम्बर 2 लगायत 3 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 8.12.2014 बहक वादी/प्रतिप्रार्थी नम्बर 1 के विरूद्ध प्रतिवादीगण/अपीलार्थीगण दिनांक 8.12.2014 को आलौच्य निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री प्रदान की तथा उसके उपरान्त दिनांक 19.02.2016 एवं दिनांक 27.06.2016 को आलौच्य संशोधित डिक्री प्रदान की तथा दिनांक 23.01.2017 आलौच्य निर्णय एवं अंतिम डिक्री प्रदान की, जिससे असंतुष्ट होकर अपीलार्थी ने यह अपील पेश की है ।

अपील संख्या 19/2018 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आलौच्य निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जैर अपील कानून, विधान एवं प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है । आलौच्य निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पत्र संग्रहसार के विरूद्ध होने से काबिले खारिज है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री पारित करने में बहुत बडी भूल की जिससे आलौच्य निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जैर अपील काबिले खारिज है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानून के विरूद्ध समस्त पक्षकारों की बिना सहमति के ही बिना तस्दीकशुदा प्रार्थना पत्र को राजीनामा समझकर निर्णय पारित

(जितेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण/अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाबदावे के तथ्यों एवं प्रतिदावे पर गौर नहीं फरमा कर कानूनी भूल की है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना प्रतिवादीगण/अपीलार्थीगण को सूचना दिये दिनांक 19.02.2016 एवं दिनांक 27.06.2016 को आलोच्य संशोधित डिक्री प्राथमिक डिक्री प्रदान की जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरूद्ध होने से खारिज होने योग्य है । प्रतिप्रार्थी नम्बर 2 व 3 को वाद में पक्षकार होने तथा उनके द्वारा बतौर अपीलार्थी प्रस्तुत नहीं होने से प्रतिप्रार्थी बनाया गया है तथा प्रतिप्रार्थी नम्बर 4 को लैण्ड होल्डर होने से पक्षकार बनाया गया है । नाथू आत्मज ऊकार का निधन होने से उसके वारिसान का अपीलार्थी नम्बर 4/1 लगायत 4/4 को बतौर अपीलार्थीगण उपस्थित हुए हैं । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 08.12.2014, संशोधित डिक्री दिनांक 19.02.2016, संशोधित डिक्री दिनांक 27.06.2016 अपास्त की जावे ।

अपील संख्या 20/2018 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आलौच्य निर्णय एवं अंतिम डिक्री जैर अपील कानून, विधान एवं प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है । आलौच्य निर्णय एवं अंतिम डिक्री पत्र संग्रहसार के विरूद्ध होने से काबिले खारिज है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री पारित करने में बहुत बडी भूल की जिससे आलौच्य निर्णय एवं अंतिम डिक्री जैर अपील काबिले खारिज है । अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव पर विश्वास कर बहुत बडी भूल की है । अधीनस्थ न्यायालय ने बंटवारा प्रस्ताव अपीलार्थीगण की बिना जानकारी में तथा बिना सहमति के होने उक्त बंटवारा प्रस्ताव के आधार पर जारी किया गया अंतिम निर्णय व डिक्री खारिज होने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्ताव प्रस्ताव के आधार पर बिना किसी जांच के बिना अपीलार्थीगण को सूचित किये बिना आपत्ति प्राप्त नियम विरूद्ध बंटवारा करने के आदेश प्रदान कर उसी अनुरूप अंतिम डिक्री पारित करने में कानूनी भूल की है जिसमें

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

प्रतिप्रार्थी नम्बर 1 के खो में उसके अधिकार क्षेत्र से भी अधिक भूमि दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जिससे अपील खारिज किये जाने योग्य है । प्रतिप्रार्थी नम्बर 2 व 3 को वाद में पक्षकार होने तथा उनके द्वारा बतौर अपीलार्थी प्रस्तुत नहीं होने से प्रतिप्रार्थी बनाया गया है तथा प्रतिप्रार्थी नम्बर 4 को लैण्ड होल्डर होने से पक्षकार बनाया गया है । नाथू आत्मज ऊकार का निधन होने से उसके वारिसान का अपीलार्थी नम्बर 4/1 लगायत 4/4 को बतौर अपीलार्थीगण उपस्थित हुए हैं । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांक 23.01.2017 अपास्त की जावे ।

दोनों अपीलों के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी 1 माह पूर्व हल्का पटवारी द्वारा कहने पर कि तुम्हारे विरूद्व तो निर्णय हो चुका है तथा तुम्हारी जमीन का बंटवारा हो गया है तब अपीलार्थीगण की जानकारी में आने पर अपीलार्थी द्वारा नकल निकलवाने पर यह तथ्य जानकारी में आया अतः जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

दोनों अपीले प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 08.12.2014, संशोधित डिक्री दिनांक 19.02.2016, संशोधित डिक्री दिनांक 27.06.2016 जारी की गई । वादपत्र मे 2030-49 की जमाबंदी पेश कर दावा लगाया है । वर्तमान जमीन की जमाबंदी नहीं लगायी । कुल वादग्रस्त आराजी 27 बीघा 11 बिस्वा है । वर्तमान जमाबंदी में चार खाते हैं । अमरा फौत हो चुका है उसके तीन लड़के हैं । परथा का लडका गोद पुत्र पूरा फौत हो चुका

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
कोटा (राज.)

है । मोहन वाद ने 1/3 हिस्से का दावा लगाया । वादी 1 लगायत 9 जवाबदावे में 1/4 हिस्से अनुसार वादग्रस्त आराजी आनी चाहिए । वर्तमान जमाबंदी में भी 1/4 हिस्सा है। इन्होंने 1/3 हिस्सा मांगा वाद में । अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 08.12.2014 को राजीनामा पेश किया । राजीनामा में तीन व्यक्तियों को शामिल किया गया । पार्टी 9 जनों को बनाया । राजीनामा बंटवारे में वादी एवं चार व्यक्तियों के हस्ताक्षर है । सभी पक्षकारों की सहमति है । दिनांक 08.12.2014 की आर्डरशीट में पुनश्चः कर जमीन दर्शाने के आदेश है । वादी ने मिलकर जमीन वाद में दर्शाई है । खाता संख्या 172 रतनबाई, तेजा बाई 1/4 हिस्सा में राजीनामो में हस्ताक्षर नहीं है । खाता संख्या 170 दरयाव बाई का 1/4 हिस्सा राजीनामे में पक्षकार नहीं है । खाता संख्या 174 रामचन्द्र पिता मोती का 1/4 हिस्सा में भी राजीनामे में पक्षकार नहीं है । रतन बाई, तेजा बाई ने जमीन क्रय की रजिस्टर्ड दरयाव बाई ने आराजी क्रय की है रजिस्टर्ड दस्तावेज को खारिज करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है । पटवारी द्वारा बंटवारा प्रस्ताव में रतन बाई, तेजाबाई के खातों की आराजी भी है । खाता संख्या 171 में से आधी जमीन रतन बाई व तेजाबाई के नाम आनी चाहिए इन्होंने वादग्रस्त आराजी क्रय की है । अधीनस्थ न्यायालय ने बंटवारा प्रस्ताव में 2 बीघा 8 बिस्वा ही दी है । दोनों खातों में 4 बीघा 7 बिस्वा आराजी आनी चाहिए । दरयाव बाई ने खाता संख्या 170 की 6 बीघा 17 बिस्वा का 1/4 हिस्सा खरीदा है जो 1 बीघा 19 बिस्वा बनता है । बंटवारा प्रस्ताव में 4 बिस्वा ही मिली है । बंटवारा मीट्स एण्ड बाउण्ड से करना चाहिए । वादी ने अपने पक्ष के समर्थन में कोई गोदनामा पेश नहीं किया है । कहीं भी पक्षकारों को सुना नहीं गया । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में एक राजीनाम दिनांक 08.01.2014 को पेश किया गया। राजीनामें पर वादी के अलावा केवल तीन पक्षकारों के हस्ताक्षर है जबकि वाद में वादी व प्रतिवादी सहित नौ पक्षकार शामिल है। लोक अदालत में राजीनामें के आधार पर सभी पक्षकारों की सहमति होना आवश्यक है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सही नहीं है।

लोक अदालत में केवल उन्ही प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिनमें उभयपक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करें। इसके अभाव में दावे व जबाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुये, सीपीसी की पालना करते हुये विधि सम्मत रूप से गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करना होता है। इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री परित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपीले अपील संख्या 19/2018 एवं 20/2018 अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 08.12.2014, संशोधित डिक्री दिनांक 19.02.2016, संशोधित डिक्री दिनांक 27.06.2016 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 23.01.2017 अपास्त किये जाते हैं । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि दावे एवं जबाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर तनकी पर अपना स्पष्ट विवेचन करते हुये सीपीसी की पालना करते हुये गुणावगुण के आधार पर विधिसम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें। पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 27.04.2021 को उपस्थित होवे ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

निर्णय आज दिनांक 18.01.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा